न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2022 (अपील)

GCMS No. 2022/00045

अनवान

1. श्रीमती अमरी पुत्री केहरा पत्नी स्व अम्बीया बुबडिया निवासी बेडाघर तहसील कोटडा जिला उदयपुर ।
2. श्रीमती हजारी देवी पुत्री केहरा पत्नी स्व. नारायण लहूर निवासी टिलरवा तहसील कोटडा जिला उदयपुर।
3. श्रीमती शिल्पा देवी पुत्री केहरा पत्नी रमेश बुबडिया निवासी वालोलिया तहसील पिण्डवाडा जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री देविया पिता केहरा गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
2. श्री रूपा पिता केहरा गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
3. श्री समा पिता केहरा गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
4. श्री कसना पिता केहरा गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
5. श्री हरिया पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
6. श्री गोपीडा पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
7. श्री दलाराम पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
8. श्री रमेश पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
9. श्री भमरू पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
10. श्री कागु पिता मीना गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
11. श्री हसना पिता लक्ष्मण गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
12. श्री रायछा पिता लक्ष्मण गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
13. श्री अनिल पिता लक्ष्मण गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
14. श्री मोती पिता लक्ष्मण गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
15. श्री नाना पिता लक्ष्मण गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
16. श्री बदाराम पिता मसरू गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
17. श्री रमेश पिता मसरू गमेती निवासी बोरली तहसील कोटडा, जिला उदयपुर।
18. श्रीमान तहसीलदार कोटड़ा, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थि

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अपीलान्ट्स के अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 86 तहसीलदार कोटड़ा आदेश दिनांक 02.01.2002

* निर्णय *

दिनांक– 24-11-2022

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरली, पटवार हल्का मेरपुर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जुडा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संख्या 29 मे अंकित आराजी संख्या 617/587 रकबा 3.6720 है. स्थित होकर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 मृतक मीना, मृतक लक्ष्मण, व मृतक मसरू के नाम दर्ज है। वादग्रस्त नामान्तरकरण के मूल खातेदार केहरा पिता होना गमेती था, जिसके क्रमशः सात पुत्र मृतक मीना, मृतक लक्ष्मण, देविया रे.स. 1, रूपा रे.स. 2, समा रे.स. 3 कसना रे.स. 4, मृतक मीना के क्रमश छः पुत्र हरिया रे.स. 5, गोपीडा रे.स. 6, दलाराम रे.स. 7, रमेश रे.स. 8, भमरी रे.स. 9, कागू रे.स. 10, मृतक लक्ष्मण के पांच पुत्र क्रमशः हसना रे.स. 11, रायछा रे.स. 12, अनिल रे.स. 13, मोती रे.स. 14 व नाना रे.स. 15, तथा मृतक मसरू के दो पुत्र बदाराम रे.स. 16, व रमेश रे.स. 17 है तथा मृतक केहरा के तीन पुत्रिया क्रमश अमरी, हजारी, व शिल्पा होकर अपीलाण्ट्स है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स मृतक केहरा की जायन्दा औलाद है लेकिन नामान्तरकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान में स्वीकृत किये जाने से अपीलाण्ट्स का नाम सहवन से नामान्तरकरण में अंकित करना रह गया जिस कारण जमाबन्दी में नाम दर्ज नही हो पाया। अपीलाण्ट किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने गई तब इस बात की जानकारी हुई। दिनांक 03.06.2022 को प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर नामान्तरकरण में नाम नहीं होने के तथ्य की जानकारी हुई। नामान्तरकरण विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है अन्यथा अपीलाण्ट्स अपने पिता की पैतृक भूमि से वंचित रह जावेगे, इसलिये नामान्तरकरण को खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत होगा। दिनांक 02.01.2002 से लेकर दिनांक 25.05.2022 तक अपीलाण्ट्स को ज्ञान नहीं था कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है, इस वजह से अपील पेश नहीं की गई और उक्त अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स द्वारा अलग से धारा 5 मयाद कण्डोन अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 86 स्वीकृत दिनांक 02.01.2002 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर अपीलाण्ट्स के नाम से पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 17 न्यायालय में अनुपस्थित रहे एवं न ही अपीलाण्ट्स की अपील का किसी प्रकार से कोई खण्डन किया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा रेस्पोडेन्ट्स के पिता की मृत्यु होने से विरासत के नामान्तरकरण में अपीलाण्टस का नाम नहीं दर्ज किया गया। प्रशासन गांवो के संग अभियान में त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण खोला जाने से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान में पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 25.05.2022 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलाण्ट के पिता केहरा गमेती फौत होने से विरासत का नामान्तरकण केहरा के वारिस मीना, लक्ष्मण, देवीया, समा, मसरू, रूपा, कसना एवं वजी बेवा केहरा के नाम का भरा जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में स्वीकृत किया गया है। केहरा के अन्य वारिसान में अपीलाण्ट्स पुत्रियां होकर केहरा की विधिक वारिसान होना बताया है। अपीलाण्ट्स विधिक वारिसान होने से केहरा के नाम दर्ज भूमि में विरासत के आधार पर अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज होना चाहिए था, जबकि केवल मात्र केहरा के पुत्रों एवं पत्नी का ही नाम दर्ज कर लिया गया है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण को पारित करते वक्त केहरा के विधिक वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण पारित नहीं किया है जिससे पृथम दृष्टया उक्त नामान्तरकरण त्रृटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा बोरली, पटवार हल्का मेरपुर तहसील कोटड़ा का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 में पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 02.01.2002 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटड़ा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक केहरा पिता होना गमेती के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण संबन्धित विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.01.12 12:02:21 IST
Reason: SelfAttested